न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 82 / 2025	2025 / 247	02.05.2025	28.05.2025

1. JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION COMP. LTD. 7TH FLOOR CNERGY APPASAHEB MARATHE MARG PRABHADEVI MUMBAI-400025

प्रार्थी

बनाम

1. Ajit Kumar (Borrower)
   Resident Address: 46/6, First Floor, Ashok Nagar, Opp. United Bank of India, Tilak Nagar, New Delhi - 110018
   Also at-: Office Address:- 1005, 10th Floor, Vikrant Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008
   Also at: Property Address:- Unit No. 3603, SF, Block-C, RLF - The Park, Sector-54, Bhiwadi, Alwar, Bhiwadi, Teh. Tapukada, Khairthal-Tijara
2. Priyanka Kumari (Co-Borrower)
   Resident Address : 46/6, First Floor, Ashok Nagar, Opp. United Bank of India, Tilak Nagar, New Delhi - 110018

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी, M/S JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION COMP. LTD. 7TH FLOOR CNERGY APPASAHEB MARATHE MARG PRABHADEVI MUMBAI की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को 3064334/- रू.–(अक्षरेन– तीस लाख चौसठ हजार तीन सौ चौतिस रूपये मात्र) का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति Unit No. 3603, SF, Block-C, RLF - The Park, Sector-54, Bhiwadi, Alwar, Bhiwadi, Teh. Tapukada, Khairthal-Tijara अन्तर्गत स्वामित्व Ajit Kumar प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 04.11.2022 को भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति Unit No. 3603, SF, Block-C, RLF - The Park, Sector-54, Bhiwadi, Alwar, Bhiwadi, Teh. Tapukada, Khairthal-Tijara अन्तर्गत स्वामित्व Ajit Kumar का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 04.11.2022 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

अप्रार्थी को भिजवाया गया कि कुल बकाया 2610531/- रू.–(अक्षरेन– छबीस लाख दस हजार पांच सौ इकतीस रूपये मात्र) एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरेटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति Unit No. 3603, SF, Block-C, RLF - The Park, Sector-54, Bhiwadi, Alwar, Bhiwadi, Teh. Tapukada, Khairthal-Tijara अन्तर्गत स्वामित्व Ajit Kumar का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि रहन रखी गई Unit No. 3603, SF, Block-C, RLF - The Park, Sector-54, Bhiwadi, Alwar, Bhiwadi, Teh. Tapukada, Khairthal-Tijara अन्तर्गत स्वामित्व Ajit Kumar, को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। रहन रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट (राज0)
खैरथल–तिजारा